कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1597/XXV–12(1–5)/2008 देहरादून : दिनांक 29 मार्च, 2017

सेवा में,

सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़
नई दिल्ली।

Subject:– Right to information act 2005- Reg.

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–4/RTI/58/2017/Misc/ NOR-II/973 दिनांक 16 मार्च, 2017 के अनुपालन में निवेदन सहित अवगत कराना है कि आपके उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी से उक्त सम्बन्धित सूचना प्राप्त की गयी। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्नवत् सूचना प्रेषित की जा रही है:–

क.सं.व जनपद का नाम	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के सम्बन्ध में दायर एफआईआर की कुल सं.	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के सम्बन्ध में जारी किये गये नोटिसों की सं.	जारी नोटिसों के कम में प्राप्त अनुपालन रिपोर्ट की सं.	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की सं.	की गयी कार्यवाही के रिपोर्ट
1.उत्तरकाशी	01	43	43	43	निस्तारित
2.चमोली	09	15	15	15	निस्तारित
3.रूद्रप्रयाग	02	16	16	26	निस्तारित
4.टिहरी–गढवाल	01 FIR & 03 NCR	53	53	03	अनिस्तारित
5.देहरादून	02	77	77	27	निस्तारित
6.हरिद्वार	14	62	59	47	निस्तारित
7.पौड़ी–गढ़वाल	49	24	24	52	निस्तारित
8.पिथौरागढ़	0	23	23	22	निस्तारित
9.बागेश्वर	02	23	21	23	निस्तारित
10.अल्मोड़ा	04	10	10	29	निस्तारित
11.चम्पावत	08	39	39	0	निस्तारित
12.नैनीताल	09 FIR & 01 NCR	16	16	27	निस्तारित
13.उधमसिंहगर	25	22	22	22	निस्तारित
कुल योग:–	**129**	**423**	**418**	**336**	

अतः अनुरोध है कि तद्नुसार प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड

ELECTION- URGENT- IMPORTANT
E-Mail-dmcumdeouki@gmail.com
Phone no. 01374-222177

प्रेषक,

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तरकाशी।

सेवामें,

प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः 990/25–38/2017 दिनांक 28 मार्च, 2017

विषयः **Right to information act 2005- Reg.**

महोदया

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1572 दिनांक 28 मार्च, 2017 के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–4/RTI/58/2017/Misc/NOR-11-II/973 दिनांक 16 मार्च, 2017 का के कम में निवेदन करना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अर्न्तगत विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 के दौरान आर्दश आचार संहित के उल्यंन के संबंध में चाही गई वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर निम्न प्रकार तैयार कर सादर प्रेषित की जा रही है:–

कं सं.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	आदर्श आचार संहिता के उल्यंन के सम्बन्ध में दायर एफआईआर की कुल संख्या	आदर्श आचार संहिता के उल्यंन के सम्बन्ध में जारी किये गये नोटिसों की कुल संख्या	जारी किये गये नोटिसों के कम में प्राप्त अनुपालन रिर्पोटा की संख्या	आदर्श आचार संहिता के उल्यंन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	की गई कार्यवाही की रिर्पोट	प्राप्त शिकायतों की जांच एवं उन पर कार्यवाही के सम्बन्ध में मु.नि.अ.का. को भेजी गई अनुपालन रिर्पोट की संख्या
1–	01–पुरोला (अ.जा.)	01	15	15	15	प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार निस्तारण किया जा चुका है	15
2–	02–यमुनोत्री	—	06	06	06		15
3–	03–गंगोत्री	—	22	22	22		15
4–	योग–	01	43	43 (जारी नोटिसों का नियमानुसार निस्तार किया जा चुका है)	43		43 पत्र संख्या 782 दि0 16.02.2017 के द्वारा प्रेषित प्रति संलग्न है।

भवदीय,

28/3/2017

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
चमाली।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन,
4–सुभाष रोड, सचिवलय परिसर,
देहरादून।

संख्या–1273/29–57 /2016–2017 दिनांक 28 मार्च, 2017

विषय :– Right to information act 2005-Reg.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–1572/25.12 (1–5) दिनांक 28 मार्च, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा आयोग से सूचना अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना निर्धारित प्रारूप में तैयार कर निम्नानुसार प्रेषित की जा रह है।

क्र. सं.	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के सम्बन्ध में दायर एफआईआर की कुल संख्या	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के सम्बन्ध में जारी किये गये नोटिसों की संख्या	जारी नोटिसों के क्रम में प्राप्त अनुपालन रिपोर्ट की संख्या	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट	प्राप्त शिकायतों की जांच एवं उन पर कार्यवाही के सम्बन्ध में मु0नि0अ0 को भेजी गयी अनुपालन रिपोर्ट की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	09	15	15	15	निस्तारित	15

भवदीय,

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
चमोली।

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

संख्या– 1313/29– 9/2017 दिनांक 28 मार्च, 2017

विषयः– **Right to information act 2005-Reg**

महोदया,

उपरोक्त विषयक कृपया आपके कार्यालय पत्र संख्या–1572 दिनांक 28 मार्च, 2017 के अनुपालन में आयोग द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत चाही गई सूचना नियत प्रारूप पर तैयार कर निम्नवत प्रेषित है।

क्र0स0	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के सम्बन्ध में दायर एफआईआर की कुल संख्या	आदर्श आचार सहिंता के उल्लंघन के सम्बन्ध में जारी किये गये नोटिसों की स.	जारी नोटिसों के क्रम में प्राप्त अनुपालन रिपोर्ट की संख्या	आदर्श आचार सहिंता के उलंघन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की सं.	की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट	प्राप्त शिकायतों की जांच उन पर कार्यवाही के सम्बन्ध में मु.नि.अ. को भेजी गई अनुपालन रिपोर्ट की सं.
1	2	16	16	26	26	02

उक्त के अतिरिक्त विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 के दौरान आदर्श आचार सहिंता से संबंधित की गई शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही की आख्या नोडल आफिसर आदर्श आचार संहिता द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्न प्रेषित है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(शंकर राम)
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।

संख्या– 1313/29– 9/2017 दिनांक 28 मार्च, 2017

विषयः– **Right to information act 2005-Reg**

महोदया,

उपरोक्त विषयक कृपया आपके कार्यालय पत्र संख्या–1572 दिनांक 28 मार्च, 2017 के अनुपालन में आयोग द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत चाही गई सूचना नियत प्रारूप पर तैयार कर निम्नवत प्रेषित है।

क्र0स0	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के सम्बन्ध में दायर एफआईआर की कुल संख्या	आदर्श आचार सहिंता के उल्लंघन के सम्बन्ध में जारी किये गये नोटिसों की स.	जारी नोटिसों के क्रम में प्राप्त अनुपालन रिपोर्ट की संख्या	आदर्श आचार सहिंता के उलंघन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की सं.	की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट	प्राप्त शिकायतों की जांच उन पर कार्यवाही के सम्बन्ध में मु.नि.अ. को भेजी गई अनुपालन रिपोर्ट की सं.
1	2	16	16	26	26	02

उक्त के अतिरिक्त विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 के दौरान आदर्श आचार सहिंता से संबंधित की गई शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही की आख्या नोडल आफिसर आदर्श आचार संहिता द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी है जो संलग्न प्रेषित है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(शंकर राम)
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

प्राप्त शिकायतों का विवरण– 08 रूद्रप्रयाग विधान सभा क्षेत्र (दिनांक 13/02/2017 तक)

विधानसभा क्षेत्र	दिनांक किसी भी विधि जैसे फैक्स/ ई–मेल या विशेष संदेश शिकायत प्राप्त होने वाले कार्यालय/ स्थान का नाम	शिकायत की प्रकृति	की गयी कार्यवाही का विस्तृत विवरण	अभ्युक्ति
08– रूद्रप्रयाग	02/02/2017 समय 6.30 सांय निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त	08–रूद्रप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के समस्त निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा शिकायत की गयी की श्री कालीचरण रावत पुत्र स्व0 श्री शिव सिंह रावत निवासी थाती बडमा रा0इ0का0 कण्डारा में उपनल से प्रयोगशाला सहायक के पद पर तैनात है तथा कालीचरण रावत सुश्री लक्ष्मी राणा के प्रचार में कार्य कर रहे है।	सहायक नोडल अधिकारी एम.सी.सी. ने अपने पत्र संख्या 1132/2016–17 दिनांक 03/02/2017 समय 12.30 अपराह्न को जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को जांच आख्या भेजी गयी। जांच में संलग्न प्रधानाचार्य रा0इ0का0कण्डारा का पत्र एंव श्री कालीचरण रावत का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, जांच में शिकायत की पुष्टि नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में नोडल अधिकारी आदर्श आचार संहिता की जांच आख्या जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र संख्या 14/रीडर–विविध–2017 दिनांक 03 फरवरी 2017 से प्रेषित की गयी।	शिकायत की पुष्टि नहीं हुई है।
08– रूद्रप्रयाग	03/02/2017 समय 6.30 सांय निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त	दिंनाक 03/02/2017 के शिकायती पत्र जय ओम प्रकाश–08 विधान सभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ आशासकीय विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा श्री भरत सिंह चौधरी प्रत्याशी बी0जे0पी0 व सुश्री लक्ष्मी राणा प्रत्याशी कांगेस, का चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तथा लक्ष्मी राणा द्वारा ग्राम पंचायत की महिलाओं को बर्तन बाटे जा रहे है,	सहायक नोडल अधिकारी आदर्श आचार संहिता द्वारा अपने पत्र संख्या 1144/2017 दिनांक 04 फरवरी 2017 लिखित रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी, रूद्रप्रयाग को सम्बोधित पत्र के द्वारा एंव संलग्न पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी, रूद्रप्रयाग के पत्र संख्या–10446 व 10443/2016–17 दिनांक 04 फरवरी 2017 अपर मुख्य अधिकारी, रूद्रप्रयाग पत्र संख्या 1143/2016–17 दिनांक 04 फरवरी 2017 के पत्रों को अवलोकनार्थ जिला निर्वाचन अधिकारी रूद्रप्रयाग को नोडल अधिकारी आदर्श आचार संहिता के माध्यम से प्रेषित किया गयों, जांच आख्यानुसार शिकायत की पुष्टि नही हुई है। शिकायत के आधार पर मुख्य शिक्षा अधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा समस्त शिक्षको का कडे निर्देश जारी किये गये है। इस सम्बन्ध में सभी जोनल मजिस्ट्रेटों से जांच कर आख्या मागी गयी थी, प्रन्तु इस प्रकार की कोई शिकायत प्रकाश में नहीं आयी। मेरे द्वारा पत्र संख्या–16/निर्वाचन 2017 दिंनाक 05 फरवरी 2017 से आख्या जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित की गयी है।	शिकायत की पुष्टि नहीं होती है।

08– रूद्रप्रयाग	07/02/2017 समय 11.30 रात्रि मो0 न0 8859082026 निर्वाचन कन्ट्रोल रूम से प्राप्त	दिनांक 07/02/2017 को रात्रि 11.30 बजे से श्री सुरजीत टम्टा ब0स0पा0 प्रत्याशी–08 रूद्रप्रयाग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि रात्रि 10:40 पर मो0न0 9634149809 से किसी मंत्री शर्मा नाम के व्यक्ति का फोन आया कि आप द्वारा निर्वाचन पार्टी के खर्चे पर लड़ा जा रहा है या स्वंय के व्यय पर लड़ा जा रहा है। प्रत्याशी द्वारा बताया गया है कि व स्वंय के व्यय पर चुनाव लड रहा है। इसके सापेक्ष फोन करने वाले व्यक्ति द्वारा बताया गया कि मैं आपके निर्वाचन में सहयोग हेतु 10 लाख रूपयें भेज रहा हूँ जो कि सुधवीर निवासी रूद्रप्रयाग (9634844398) से चार अकों का कोड 5318 बता कर प्राप्त कर लें प्रातः 10:00 बजे।	श्री ओमकार सिंह प्रभारी अधिकारी, उडन दस्ता व मुकेश बलेडा, पुलिस एफ.एस.टी. टीम–08 रूद्रप्रयाग विधानसभा प्राप्त पत्र सं (संलग्न पत्र) अवगत कराया गया है कि पुलिस अधीक्षक रूद्रप्रयाग को इनके द्वारा उक्त पत्र लिखा गया है कि उक्त मो0न0 9634149809 व 9634844398 की आई.डी एंव कॉल फार्म तथा दिनांक 07.02.2017 व 08.02.2017 की सी.डी.आर उपलब्ध कराये जिससें उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही की जा सके। उडन दस्ता प्रभारी अधिकारी रूद्रप्रयाग श्री ओमकार सिंह द्वारा लिखित रूप में दिनांक 13/02/2017 को अवगत कराया है कि दोनो ही मो0न0 आगरा से सम्बन्धित है एंव दोनो ही मो0न0 पर सम्पर्क नहीं हो पाया है। सम्पर्क न होने के कारण "उक्त शिकायत निरस्त" समझी जाय।	शिकायत की पुष्टि नहीं हो पाई है।
08–रूद्रप्रयाग	11/01/2017 खांखरा बैरियर को प्राप्त	एस.एस.टी खांखरा द्वारा चेंकिग	श्री रविन्द्र सिंह से चेकिग के दौरान 12 बोतल अग्रेजी शराब बरामद की गई। शराब जब्त करते हुए 60(1) एक्साइज एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।	मुकदमा दर्ज
08–रूद्रप्रयाग	22/01/2017 –do–	एस.एस.टी खांखरा द्वारा चेंकिग	श्री प्रेमसिंह से चेकिग के दौरान 07 बोतल अग्रेजी शराब बरामद की गयी। अग्रेंजी शराब को जब्त करते हुए 60(1) एक्साइज एक्ट क अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।	मुकदमा दर्ज
08–रूद्रप्रयाग	27/01/2017 समय 9:30 प्रातः –do–	एस.एस.टी खांखरा द्वारा चेंकिग	श्री प्रबल सिंह से चेकिग के दौरान 09 बोतल अग्रेजी शराब बरामद की गयी। अगेंजी शराब को जब्त करते हुए 60(1) एक्साइज एक्ट क अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।	मुकदमा दर्ज
08–रूद्रप्रयाग	27/01/2017 समय 5:30 प्रातः –do–	एस.एस.टी खांखरा द्वारा चेंकिग	श्री पानसिंह से चेकिग के दौरान 09 बोतल अग्रेजी शराब बरामद की गयी। अगेंजी शराब को जब्त करते हुए 60(1) एक्साइज एक्ट क अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।	मुकदमा दर्ज
08–रूद्रप्रयाग	31/01/2017 समय 11:30 प्रातः नगरासू बैरियर को प्राप्त	एस.एस.टी नगरासू द्वारा चेंकिग	चेक पोस्ट नगरासू द्वारा चेकिग के दौरान रू0 45 लाख जब्त कर प्रभारी उडन दस्ते द्वारा कोषागार में जमा किया गया जांच के पश्चात यह धनराशि पंजाब नैशनल बैक की पाई गयी, जिलाधिकारी महोदया के आदेश संख्या 1757/बीस–23(2016–17) दिनांक 04 फरवरी 2017 द्वारा पंजाब नैशनल बैंक को वापस की गयी।	–
08–रूद्रप्रयाग	06/02/2017 पुलिस विभाग को प्राप्त	सूचना प्राप्त हुई कि न्यू बस अडडा रूद्रप्रयाग में काग्रेस/भाजपा के चुनाव कार्यालय में जाकर अनियमितता कार्यो की जांच करें।	उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री दरमान सिंह पंवार मय पुलिस बल के जाच हेतु न्यू बस अडडा पर स्थित भाजपा व काग्रैस कार्यालय में गये तो कोई भी अनियमितता परिलक्षित होनी नहीं पाई गयी। आस पास दुकानदारों से पुछताछ की गयी तो कोई शिकायत नहीं मिली।	शिकायत की पुष्टि नहीं हो पाई है।

08–रूद्रप्रयाग	09/02/2017 पुलिस विभाग को प्राप्त	सूचना प्राप्त हुई कि वाहन संख्सा यू0के0–13 टी0ए0 0278 में कुछ अवैध सामग्री रूद्रप्रयाग से तिलवाडा की ओर जा रही है। तत्काल कार्यवाही करें।	उक्त सूचना को तत्काल प्रभारी तिलवाडा श्री प्रदीप कुमार को बताया गया, जिनके द्वारा वाहन यू0के013–टी0ए0 0278 को रोककर चैक किया गया तो उसमें निम्नानुसार अवैध सामगी पाई गयी–(1) 12650 बैरोजकार भत्त कार्ड (2) 3 पेटी स्टीकर(3) सात फ्लैक्सी बैनर (4) दो पैटी कलैण्डर(5) 15 पौस्टर छोटे साइज(6) 15 टोपी नमूना(7) 1 बण्डल मतपत्र नमूना, उक्त सामग्री को तत्काल एफ0एस0टी टीम प्रभारी वाई0एस0टम्टा द्वारा कब्जे में ले लिया गया तथा थाना अगस्त्यमुनि में अपराध संख्या 11/17 धारा 171जे/188 भादवि, 127 ए/133 लो0प्र0अधि0 1951 बनाम प्रवीण कुमार आदि 4 नफर पंजीकृत किया गया। वाहन को धारा एम0वी0एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया।	मुकदमा दर्ज
08–रूद्रप्रयाग	10/02/2017 पुलिस विभाग को प्राप्त	सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात वाहन रूद्रप्रयाग से घोलतीर की ओर जा रहा है, जिसमें बाटने हेतु साडियां व रूपये है, जो घोलतीर क्षेत्रान्तर्गत गावों में बाटने जा रहा है।	सूचना को तत्काल एफ0एस0टी में तैनात एसआई श्री मुकेश थलेडी को उक्त वाहन के संबध मे आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया । एस0आई0 श्री मुकेश थलेडी द्वारा घोलतीर क्षेत्र में जाकर उक्त संबध में तलाश/जांच पडताल की गयी तो कोई लाभप्रद सूचना नही मिली।	शिकायत की पुष्टि नहीं हो पाई है।
08–रूद्रप्रयाग	12/02/2017 पुलिस विभाग को प्राप्त	निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप थपलियाल के समर्थकों द्वारा सूचना दी गई कि हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्याशी जगमोहन सिंह रौथाण के समर्थकों कार्यकर्ताओं द्वारा गाली–गलौच व तू–तू मैं–मैं की जा रही है तथा यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप ग्राम काण्डई बच्छण्स्यू पट्टी के दूरस्थ क्षेत्रों में चुनाव को लेकर शराब बांटी जा रही है।	सूचना पर रात्रि में ही समय 22:10 बजे निरीक्षक कोतवाली रूद्रप्रयाग श्री दरवान सिंह पंवार द्वारा मय पुलिस बल एफ0एस0टी0 कार्मिको के तत्काल उक्त घटना स्थल ग्राम काण्डई (राजस्व क्षेत्र) जाकर देखा गया तो दोनो पक्ष एक दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप लगाये जा रहे थे कि दोनो पाटियों के कार्यकर्ता शराब बांट रहे है दोनो पक्षों को निरीक्षक कोतवाली श्री दरवान सिंह पंवार द्वारा समझाया गया। दोनों पक्ष पुलिस द्वारा समझाये जाने पर संतुष्ट हो गये। जांच के दौरान शराब बाटने की कोई भी घटना प्रकाश में नहीं आयी।	शिकायत की पुष्टि नहीं हो पाई है।
08–रूद्रप्रयाग	12/02/2017 पुलिस विभाग को प्राप्त	सूचना प्राप्त हुई की आर्यन ग्रुप देहरादून के कुछ सदस्यों द्वारा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी श्री कुलदीप रावत के पक्ष में डी0ए0वी0 के छात्रों द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा है। ये लोग गौरी होटल तिलवाडा में रूके हुए है। इनके द्वारा चुनाव में गडबडी की जा सकती है।	उक्त सूचना पर समय लगभग 22:15 बजे तत्काल थाना अध्यक्ष अगस्त्यमुनि श्री नीरज कुमार मय पुलिस बल व एफ0एस0टी0 कार्मिको के घटनास्थल गौरी हौटल तिलवाडा में पहुचा तथा गौरी होटल की चेकिग की गयी तो होटल में डी0ए0वी0 के छात्र रूके होने पाये गये। तलाशी किये जाने पर उनके पास कोई संदिग्ध सामान/सामग्री प्राप्त नहीं हुई ।	शिकायत की पुष्टि नहीं हो पाई है।
08–रूद्रप्रयाग	13/14/02/2017 समय 12:30 रात्रि खांखरा बैरियर को प्राप्त	एस.एस.टी खांखरा द्वारा चेकिग	श्री अर्जुन सिंह से वाहन में 70 अदे व 71 बोतल अग्रेजी शराब बरामद की गयी । शराब व वाहन जब्त करते हुए 60(1/72) एक्साइज एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।	मुकदमा दर्ज

नोडल अधिकारी

आदर्श आचार संहिता– जनपद रूद्रप्रयाग

प्राप्त शिकायतों का विवरण–07 केदारनाथ विधान सभा क्षेत्र (दिनांक 13/02/2017 तक)

विधानसभा क्षेत्र	दिनांक किसी भी विधि जैसे फैक्स/ ई–मेल या विशेष संदेश शिकायत प्राप्त होने वाले कार्यालय/ स्थान का नाम	शिकायत की प्रकति	की गयी कार्यवाही का विस्तृत विवरण	अभ्युक्ति
07– केदारनाथ	30/01/2017 समय 12.30 अपराह्न निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त	श्री के0एल0आगरी,ब0स0पा0 प्रत्याशी द्वारा एक शिकायती पत्र दिया गया है, जिसमें अवगत कराया गया है कि 07 केदारनाथ विधान सभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा गरीबों/ दलितों को रूपये देकर बोट खरीदे जा रहे है।	दिनांक 30/01/2017 के कम में श्री के0एल0आगरी ब0स0पा0 के शिकायती पत्र को आर्दश आचार संहिता सहायक नोडल अधिकारी के पत्र संख्या 1110/2016–17 दिनांक 31/01/2017 को अवगत कराया कि विधानसभा क्षेत्र में तैनात उडन दस्तों द्वारा सहायक नोडल अधिकारी श्री भण्डारी जी को लिखित रूप में अवगत कराया गया है कि उक्त शिकायत किसी भी क्षेत्र में प्रकाश में नहीं आयी है। तथा जोनल मजिस्ट्रेटों को भी उक्त जांच हेतु लिखा गया है। जांच आख्या प्राप्त होने के पश्चात पत्र संख्या–1165/2016–17 दिनांक 07 फरवरी 2017 के द्वारा श्री के0एल0आगरी ब0स0पा0 प्रत्याशी की शिकायत निराधार पाई गयी है। नोडल अधिकारी के पत्र संख्या 21/निर्वा0–2017 दिनांक 11 फरवरी 2017 से जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित की गयी है।	शिकायत की पुष्टि नहीं होती है।
07– केदारनाथ	23/01/2017 समय 4:00 सांय	प्रभारी अधिकारी उडन दस्ता गुप्तकाशी द्वारा चेकिग	वाहन संख्या यू0के0–11, 0098(नन्दा देवी एक्सप्रैस) की चेकिग स्थान नारायणकोटी कालीमठ जाने वाले मार्ग पर गेट के पास की गयी, इसमें श्री चेतन जसोला से रू0 14.40 लाख जब्त किये गये जो कि नेहरू पर्वता रोहण संस्थान कैम्प केदारनाथ का कर्मचारी था। धनराशि को जब्त कर कोषागार में जमा किया गया। आयकर विभाग एंव जांच समिति द्वारा जांच करने के पश्चात उक्त धनराशि को जिलाधिकारी महोदया के पत्र संख्या 1738/बीस–23(2016–17) दिनांक 04 फरवरी 2017 के अनुपालन में वापस कर दी गयी है।	–
07– केदारनाथ	07/02/2017 मा0 प्रेक्षक के माध्यम से प्राप्त	श्री कालीचरण रावत, लैब असिस्टेन्ट, रा0इ0का0कण्डारा द्वारा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्बन्धित शिकायत के सम्बन्ध में क्षेत्र के सैक्टर मजिस्ट्रेट, प्रभारी अधिकारी, उडन दस्तें से जांच करायी गयी थी जांच में इस प्रकार की कोई शिकायत प्रकाश में नही आई है। जिसके सम्बन्ध में आख्या पत्र संख्या 18/निर्वा0/2017 दिनांक 08 फरवरी 2017 को नोडल अधिकारी, आदर्श आचार सहिता द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित किया गया है।	शिकायत की पुष्टि नहीं होती है।

नोटः– आबकारी विभाग से सम्बन्धित सूचना संलग्न प्रस्तुत है। (संलग्नक 1 से 3 तक)

14/02/17

नोडल अधिकारी
आदर्श आचार संहिता– रूद्रप्रयाग।

प्रेषक,

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

सेवामें,

प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक– 651 29– 4 / 2017 नई टिहरी दिनांक 28 मार्च 2017

विषय:–**Right to information act 2005 – Reg.**

महोदया,

उपरोक्त विषय आपके पत्र संख्या 1572 दिनांक 28.03.2017 मय संलग्नक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 4RRTI/58/2017/Misc/ NOR-II/973 दिनांक 16.03.2017 के सन्दर्भ में निवेदन इस प्रकार से है कि Right to information act 2005 – Reg. आदर्श आचार संहित से सम्बन्धित वांछित सूचनायें निर्धारित प्रारूप पर निम्नानुसार प्रेषित हैं।

क्र0सं	आदर्श आचार संहित के उल्लंघन के सम्बन्ध में दायर एफआईआर की कुल संख्या	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के सम्बन्ध में जारी किये गये नोटिसों की संख्या	जारी नोटिसों के क्रम में प्राप्त अनुपालन रिपोर्ट की संख्या	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	की गयी कार्यवाही के रिपोर्ट	प्राप्त शिकायतों की जांच एवं उन पर कार्यवाही के सम्बन्ध में मु0नि0का0 को भेजी गई अनुपालन रिपोर्ट की संख्या
	04(FIR-01, NCR-03)	53	53	03	FIR-01 विवेचनाधीन NCR-02 विवेचनाधीन NCR-01 विचाराधीन न्यायालय	01

भवदीय

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
टिहरी गढवाल।

जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के सम्बन्ध में दायर एफआईआर की कुल संख्या।	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के सम्बन्ध में जारी किये गये नोटिसों की संख्या।	जारी नोटिसों के कम में प्राप्त अनुपालन रिपोर्ट की संख्या।	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की संख्या।	की गयी कार्यवाही के रिपोर्ट।	प्राप्त शिकायतों की जांच एवं उन पर कार्यवाही के सम्बन्ध में मु.नि.का.को. भेजी गई अनुपालन रिपोर्ट की संख्या।
15 चकराता	0	6	6	0	0	0
16 विकासनगर	0	1	1	0	0	0
17 सहसपुर	0	17	17	0	0	0
18 धर्मपुर	2	5	5	8	8	0
19 रायपुर	0	11	11	10	10	0
20 राजपुर	0	6	6	2	2	0
21 देहरादून कैन्टोन्मेन्ट	0	8	8	0	0	0
22 मसूरी	0	9	9	1	1	0
23 डोईवाला	0	7	7	3	3	0
24 ऋषिकेश	0	7	7	3	3	0
योग	2	77	77	27	27	0